

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिकारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से गुजरने वाली शिवपुरी-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड के किनारे भूमिगत सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु 1.83 हेक्टेयर वन भूमि लोक रवाय्य यांत्रिकी विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 26/01/18
स्थान: भोपाल

(Handwritten Signature)

(कैप्टन अजित कुमार खरे)
(कैप्टन सचिव, वन विभाग)
म.प्र. शासक वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)